न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 1/2021 (डूंगरपुर आर्डर)

कुतुबुद्दीन दाउदीवाला पिता फखरूद्दीन दाउदीवाल, बोहरा, निवासी गलियाकोट, हाल मुकाम बोहरा कॉलोनी, गढ़ाजसराजपुर, तहसील गलियाकोट, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत चितरी जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत चितरी, तहसील गलियाकोट, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. सरकार जरिये तहसीलदार, गलियाकोट, जिला डूंगरपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा मुकदमा नंबर कमांक/राजस्व/2012/686–89 दिनांक 27–04–2012

---/---

उपस्थित(वक्त बहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

---::---

निर्णय दिनांक 26–12–2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा ने अपने आदेश दिनांक 27–04–2012 से ग्राम चीतरी आराजी नंबर 3444/1, 2948, 2949, 3775/1, 4120 कुल किता 5 में से रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि आबादी बिस्तार हेतु आवंटित की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 01–03–2021 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की प[illegible] की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:17:20 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 96 जा.दी. के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि आराजी नंबर 3775/1 रकबा 0.03 हैक्टर पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है तथा इससे लगी होकर प्रार्थी की भूमि है तथा प्रार्थी ने दुकान का कार्य करा रखा है तथा दुकान के सामने का भाग आराजी नंबर 3775/1 में खुलता है तथा इसके आगे रास्ता भी बना हुआ है, जो इसी आराजी में है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इसका आवंटन ग्राम पंचायत चितरी को कर दिया है, जिससे अपीलान्ट के हित प्रभावित हो रहे हैं तथा अपीलान्ट हितबद्ध एवं पीड़ित पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बताया कि विवादित आराजी बिलानाम भूमि है जिससे अपीलान्ट/प्रार्थी का कोई संबंध नहीं है तथा वह हितबद्ध एवं पीड़ित पक्षकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय हाजा में प्रस्तुत वाद की प्रमाणित फोटो प्रति जिसमें प्रार्थी कुतुबुद्दीन प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में संस्थित है तथा उसमें कायम तनकियात के अवलोकन से स्पष्ट प्रकट होता है कि विवादित आराजीयात में से आराजी नंबर 3775/1 रकबा 3 बिस्वा पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 2 कुतुबुद्दीन है अर्थात हाल प्रार्थी/अपीलान्ट का है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में अपीलान्ट पक्षकार नहीं था। ऐसी स्थिति में प्रार्थी कुतुबुद्दीन प्रथम दृष्टया हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कथित आदेश उप जिला कलक्टर द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया गया है, जिससे उन्हें उक्त आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 04–01–2021 को सर्वप्रथम उक्त आदेश की जानकारी हुई। तत्पश्चात् नकलें प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी। अतः न्यायहित में दिनांक 27–04–2012 से 08–02–[illegible] तक की अवधि को कण्डोन फरमाया जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:17:20 IST
Reason: SelfAttested

मु.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

उक्त बहस का खण्डन करते हुए राजकीय अभिभाषक ने बताया कि अपील करीब 9 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो कारण बताया है वह न तो उचित प्रतीत होता है, न ही पर्याप्त कारण है। अतः अपील बेरून मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज की जावे।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। चूंकि अपीलान्ट/प्रार्थी अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश की जानकारी प्रार्थी/अपीलान्ट को पूर्व में हो चुकी हो, इस बाबत् कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि कथित आदेश जारी करने से पूर्व मौके की जांच नहीं की गयी, न ही अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी किया गया, न ही उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया तथा मनमकसूद तरीके से कथित जमीन को अन्य आराजियात के साथ ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु आवंटित कर दी, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है। ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट का नाजायज कब्जा मानते हुए नोटिस भी जारी किया गया है, फिर भी अपीलान्ट को बिना सुने एवं बिना पक्षकार बनाये कथित जमीन का आवंटन कर दिया गया है, जबकि कथित जमीन पर अपीलान्ट की दुकाने बनी होकर उसके दरवाजे इसी आराजी में खुलते हैं, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इसे नजर अंदाज कर दिया। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जावे तथा भूमि पुनः बिलानाम सरकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज करायी जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिलानाम आराजीयात का आवंटन ग्राम पंचायत चीतरी को आबादी बिस्तार हेतु किया है, जिससे अपीलान्ट का कोई सम्बन्ध नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:17:20 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 अनुसार विवादित आराजी नंबर

3775/1 रकबा 0.03 हैक्टर बिलानाम दर्ज है तथा उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा द्वारा अपीलाधीन आदेश से उक्त आराजी नंबर 3775/1 का अन्य आराजियात के साथ ग्राम पंचायत चीतरी को आबादी विस्तार हेतु आवंटित कर दी गयी, जबकि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त आवंटन उक्त आराजी नंबर 3775/1 पर कब्जा अपीलान्ट का था, जिससे स्पष्ट प्रकट होता है कि आवंटन से पूर्व भूमि के कब्जे बाबत् कोई जांच नहीं की गयी है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27–04–2012 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से आदेश पारित करें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26–12–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:17:20 IST
Reason: SelfAttested